2/5/2024 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु0 अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 23/5/2024 को पेश हो।

23/5/2024 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु0 अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 27/6/2024 को पेश हो।

27/6/2024 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु0 अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की जावे। P.O. महो0 अन्य राजकार्य मे व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 26/7/2024 को पेश हो।

26/7/2024 पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) कलाकन्द (दूध व चीनी से निर्मित) मूल गत्ता पैक का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर

मोतीसिंह

लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अत श्री मोती सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नैनसिंह उम्र 35 वर्ष जाति राजपुरोहित, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स– जौधपुर मिष्ठान भण्डार, मोडक बाई पास, ट्रांसपोर्ट नगर, मोडक तह0 रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.), निवासी– शिव नगर मोडक गांव, तह0 रामगंजमण्डी, जिला कोटा,** पर **6000/– रूपये (अक्षरे छः हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **नितेश गौतम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट